निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या /CT-55/2017-18

यह निरीक्षण प्रतिवेदन असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-**IV** वा.क. देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-**IV** वा.क. देहरादून के माह 04/2015 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री नीरज कुमार, श्री सिराज हुसैन सहायक लेखा परीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक 04.08.2017 से 17.08.2017 तक श्री एन.के.सिन्हा वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

<u>भाग-**I**</u>

1. **(1)**<u>परिचयात्मकः</u> इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा सुश्री सरूनी शर्मा (ले0प0) श्री पी.के.गुप्ता, श्री दीपक मालवीय सहायक लेखापरीक्षा अधिकारीयों द्वारा दिनांक.07.05.2015 से 21.05.2015 तक श्री राजकुमार लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण मे सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह 04/2012 से 03/2015 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में राजस्व हेतु माह 04/2015 से 03/2017 तक एवं व्यय हेतु माह तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2. (i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः – कर निर्धारण, चकराता रोड़

3. (ii) (अ) राजस्व विवरण

विगत 3 वर्षो मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (₹लाख मे)
2014-15	1380.81
2015-16	523.75
2016-17	817.24

(ii)(c) बजट का विवरण:-विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:(₹ लाख में)

वर्ष	आवंटन		स्थापना व्यय `		अभ्यर्पित राशि
	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	आयोजनेत्तर	
शून्य					

(l) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष `	प्राप्त `	व्यय अधिक्य (+) `	बचत (-) `
शून्य					

(iii)इकाई को बजट आवंटन शासन से द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय राजस्व संग्रह को सम्मिलित न करते हुए इकाई - श्रेणी की है।

(iv)विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिव **>** आयुक्त कर, वाणिज्य कर**>**एडिशनल कमिश्नर**>**ज्वाइंट कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर**>** सहायक आयुक्त , राज्य कर**>** वाणिज्य कर अधिकारी,

(V) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-**IV** वा.क. देहरादून को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन **:-**

राजस्व**:** माह.....मार्च 16 एवं मार्च 17 को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

व्यय: डी.डी.ओ कार्य नहीं किया जाता

(vii) योजना का चयन :- कोई नहीं ।

(Viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

प्रस्तर-1 कर का न्यूनारोपण ₹3.75 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 4(2)(ख)(i)(ई) में यह प्रवधान किया गया है, कि किसी भी अनुसूची में सम्मिलित माल से भिन्न माल के संबंध में करदेयता 12.5% की दर से निर्धारित की गई है। इस पर दिनांक 01.04.2010 से 1%की दर से अतिरिक्त कर भी देय था।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड- चतुर्थ, वाणिज्य कर, देहरादून की नमूना लेखापरीक्षा में निम्नांकित कमियाँ पाई गयी-

(1) व्यापारी सर्वश्री आनन्द ट्रेडर्स, पार्क रोड, देहरादून द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹80,03,336/- की इलैक्ट्रीकल गुडस की बिक्री 12.5% की दर से की गई तथा कर निर्धारता अधिकारी द्वारा ₹10,00,415.75/- का कर आरोपित किया गया। जबकि उक्त वस्तु की बिक्री कर दिनांक 01.04.2010 से 2% की अतिरिक्त कर देयता थी। इस प्रकार उक्त वस्तु की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 1% से ₹80,033/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

(II) व्यापारी सर्वश्री जी.के. ग्लास हाउस, दीप लोक कॉलोनी, देहरादून, द्वारा कर-निर्धारण वर्ष 2010-11 में ₹19,90,131/- की ग्लास वेयर की बिक्री 12.5% की दर से की गई जबकि उक्त वस्तु की बिक्री पर दिनांक 01.04.2010 से 13.5% की दर से कर आरोपणीय था। इस प्रकार ₹19,90,131/- की ग्लास वेयर की बिक्री पर 13.5%की दर से ₹2,68,668/- का कर आरोपणीय था जबकि व्यापारी द्वारा उक्त की बिक्री पर ₹2,48,766/- का कर दिया गया। इस प्रकार ₹19,902/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

(III) व्यापारी सर्वश्री रूद्रा एण्टरप्राइजेज, देहरादून द्वारा कर निर्धारता वर्ष 2013-14 में ₹1306056.65/- की सर्जिकल गुडस की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि सर्जिकल आईटम को आयुक्त कर मुख्यालय के पत्रांक 1825/आयु.क.उत्तरा./धारा-57 अनुभाग वा.कर/2012-13/ देहरादून दिनांक 23.07.2012 द्वारा अवर्गीकृत श्रेणी में रखा गया है। अतः उक्त की बिक्री पर 13.5%की दर से करारोपण होना चाहिए था। इस प्रकार उक्त की बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5%(13.5-5) से ₹1,11,015/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय था।

(IV) व्यापारी सर्वश्री गुरूदेव एण्टरपारइजेज, आकाश दीप कॉलोनी, देहरादून, द्वारा कर निर्धारण वर्ष 2013-14 में ₹6,79,400/- की आयुर्वेदिक कैण्डी की बिक्री 5% की दर से की गई जबकि उक्त वस्तु उत्तराखण्ड मुल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की किसी भी अनुसूची से आच्छादित नहीं होने के कारण उसकी बिक्री पर अन्तरीय कर दर 8.5%(13.5-5) से ₹57,749/- का अतिरिक्त कर आरोपणीय होगा। साथ ही नियमानुसार ब्याज भी आरोपणीय होगा।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जोने पर विभाग द्वारा क्रम संख्या (1) तथा (2) के सन्दर्भ में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया तथा क्रम संख्या (3) के सन्दर्भ में विभाग द्वारा अपने उत्तर में बताया गया कि संदर्भित वस्तु सर्जिकल गुडस है। जिस पर नियमानुसार कर लिया गया है। उत्तर तर्क संगत नहीं होने के कारण अमान्य है। तथा क्रम संख्या (4) के सन्दर्भ में बताया गया कि आयुर्वेदिक कैण्डी आयुर्वेदिक उत्पाद है। अतः इसको अवर्गीकृत श्रेणी का उत्पाद नहीं माना जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक दवा को उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 के अनुसूची II B में रखा गया है, न कि आयुर्वेदिक उत्पाद को आयुर्वेदिक कैण्डी एक प्रकार का चाकलेट है। जो अवर्गीकृत श्रेणी में आता है।

(V) अविभाजित सिविल संविदा से संबंधित उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0 330 दिनांक-17.04.2012 के प्रविधानों के अनुसार सिविल संविदाकारों पर 02% की दर से समाधान राशि आरोपणिय होगा बशर्ते है कि संविदाकार द्वारा अपना केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करनें तक अथवा उससे पुर्व सरेण्डर कर दिया गया हो।

कार्यालय सहायक आयुकत (क.नि.) खण्ड- IV वा.क. देहरादून के अभिलेखों की नमूना लेखा परिक्षा जांच में यह कहा गया कि संविदाकार सर्वश्री अशोक कुमार, गोविन्द गढ़ देहादून, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 एवं श्री दीपक राणा, गोविन्द गढ़, देहरादून, कर निर्धारण वर्ष 2013-14 के वाद में दोनों संविदाकारो के प्रकरण में कुल ₹53,12,101(₹40,76,810/- + ₹12,35,291/-) के भुगतान पर 02% की दर से समाधान शुल्क आरोपित किया गया। उपरोक्त दोनो संविदाकारों द्वारा समाधान योजना के प्रावधानों के अनुसार अपना केन्द्रीय पंजीयन प्रमाण पत्र रद्द करने हेतु समाधान योजना का विकल्प प्रस्तुत करनें तक था उसके पूर्व सरेण्डर नहीं किया गया था। अतः इन संविदाकारों द्वारा 02% के बजाय 04% का

समाधान शुल्क देय था। इस प्रकार सन्दर्भित प्रकरण में 02% (04% -02%) के अन्तरीय दर से कुल ₹1,06,242/- के समाधान शुल्क का न्यूनारोपण हुआ।

संप्रेक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा नियमानुसार जांच किये जाने का आश्वासन दिया गया, जिसका सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षा रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-2 कर व अर्थदण्ड का अनारोपण ₹2.44 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 58(1)(xiv) के अंतर्गत कोई व्यापारी गलत खाते व रजिस्टर रखता है। अथवा प्रस्तुत करता है। तो उसे कर की धनराशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत अर्थदण्ड आरोपता का प्रावधान है।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) चतुर्थ वाणिज्यकर, देहरादून की नमूना सम्प्रेक्षा जाँच में पाया गया कि व्यापारी सर्वश्री अग्रवाल एण्ड कम्पनी, सहारनपुर रोड़ देहरादून द्वारा वर्ष 2013-14 में टिम्बर की बिक्री निम्नानुसार प्रदर्शित की गयी

आरंभिक स्टॉकः- ₹39,44,686/-

क्रय/ आयातितः- ₹61,97,869/-+2,18,433/-

योगः- ₹1,03,60,988/-

वर्ष के दौरान बिक्रीः- ₹42,08,239/-

(प्रान्तीय एवं केन्द्रीय)

अंतिम सटॉक होनी चाहिए थी- ₹61,52,749/-

व्यापारी द्वारा प्रदर्शित अंतिम स्टॉक- 5₹0,70,368/-

छिपायी गई बिक्री (लाभ रहित)- ₹10,82,381/-

अतः छिपायी गई टिम्बर की बिक्री (लाभ रहित) ₹10,82,381/- पर 15% की दर से ₹1,62,357/- का कर आरोपणीय था तथा वैट धारा- 58(1)(xiv) के अंतर्गत न्यूनतम 50% तक ₹81,179/- का अर्थदण्ड भी आरोपणीय होगा।

उक्त के सन्दर्भ में इंगित किए जाने पर विभागीय उत्तर में नियमानुसार कार्यवाही कर अवगत कराने का आश्वासन दिया गया जिसकी अनुपालन आख्या सम्प्रेक्षा में प्रतीक्षित रहेगी।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2 (ख)

प्रस्तर-3 अर्थदण्ड का अनारोपण ₹0.79 लाख।

उत्तराखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा -58(1)(vii) के अन्तर्गत किसी व्यौहारी ने युक्ति-युक्त कारण के बिना अधिनियम के उपबन्धों के अधीन देय कर अनुमन्य समय के भीतर जमा नहीं किया है तो वह देय कर का कम से कम दस प्रतिशत किन्तु अधिक से अधिक पच्चीस प्रतिशत यदि कर दस हजार रूपये तक हो और देय कर का पच्चास प्रतिशत यदि तक 10 हजार रूपये से अधिक हो का दायी होगा।

कार्यालय असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-IV वाणिज्य कर देहरादून के अभिलेखों के जांच में पाया गया कि 02 व्यापारियों द्वारा विभिन्न माहों में देय कर की कुल राशि 7,85,286/- को विलंब से जमा किया था।(विवरण संलग्न)।

अतः विलंब से जमा कर की राशि पर अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार ₹78,529/- का अर्थदण्ड आरोपणीय है।

इस संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही का आश्वासन दिया गया।

प्रकरण उच्चाधिकारीयों के संज्ञान में लाया जाता है।

व्यापारी का नाम	कर निर्धारण वर्ष	माह	कर जमा करने की	कर की धनराशि	आरोपणीय अर्थदण्ड

			तिथि		
सर्वश्री जी.के.गलास हाउस, देहरादून टिनः 05000861385	2010-11	जुन-10 अक्टुबर-10 नवम्बर-10 दिसम्बर-10	07.08.10 29.11.10 31.12.10 29.01.10	23735/- 41435/- 53514/- 8963/-	2373.5/- 4143.5/- 5351.4/- 896.3/-
सर्वश्री ए.एण्ड एम मार्केटिंग सर्विस, देहरादून टिनः 05000798238	2012-13	अप्रैल-12 मई-12 जुन-12 जुलाई-12 अगस्त-12 सितम्बर-12 अक्टुबर-12 नवम्बर-12 दिसम्बर-12 जनवरी-13 फरवरी-13 मार्च-13	15.06.2012 11.07.2012 08.08.2012 17.10.2012 25.10.2012 20.11.2012 21.12.2012 24.01.2013 12.02.2013 18.03.2013 08.04.2013 20.05.2013	46400/- 48475/- 57542/- 51559/- 70282/- 51549/- 45203/- 60790/- 70170/- 40079/- 45369/- 70221/-	4640.0/- 4847.5/- 5754.2/- 5155.9/- 7028.2/- 5154.9/- 4520.3/- 6079.0/- 7017.0/- 4007.9/- 4536.9/- 7022.1/-
			योग	7,85,286/-	78,528.6/-

भाग-**III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण **:**

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	
शून्य			

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : शून्य

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण : शून्य

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

(1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

(2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य –टिप्पणी शून्य

भाग-V

आभार

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-**IV** वा.क. देहरादून तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. सतत् अनियमितताएः
   टिप्पणी- शून्य

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया

क्रम सं0	नाम	पदनाम
(i)	श्रीमती राजेश्वरी	असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-4 देहरादून
(ii)	श्री कृष्ण कुमार	असिस्टेंट कमिश्नर खण्ड-4 देहरादून

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति असिस्टेंट कमिश्नर (क.नि.) खण्ड-**IV** वा.क. देहरादून को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आ ख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

लेखापरीक्षा अधिकारी/राजस्व क्षेत्र